निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/ 1068-1118 04.12.19 दिनांकः

समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी ।

Finance (Rules) ACP
5/12
Keshuji
5/12/19

विषयः–राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,1998 के नियम 39(2)(i) की जानकारी के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य कर्मी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले आने वाले 1 अप्रेल को अपनी राज्य बीमा पॉलिसी में परिपक्वता दावा राशि का भुगतान प्राप्त कर लेता है और परिपक्वता के बाद लगभग 1 माह सें 12 माह तक राज्य बीमा योजना के लाभ से वंचित रहते है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बीमेदार अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रख सकता है। यह लाभ कार्मिकों द्वारा नियमों की जानकारी के अभाव मे नही लिया जाता है। अगर कार्मिकों द्वारा इस विकल्प को चुना जाता है तो वह सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक योजना के लाभ को प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 39(2)(i) के प्रावधान अनुसार–"बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी।" अगर कोई कार्मिक उक्त विकल्प लेता है तो उसे इसकी सूचना अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है।

बीमेदार द्वारा उक्त विकल्प लेने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 51 के अनुसार सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी । तथा नियम 18(2) के अनुसार प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति तक वेतन से वसूलीय होगा और संचित असंदत्त प्रीमियम बिना ब्याज के दावे के रकम मे से वसूलीय होगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बाबत् जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करावें ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्य कर्मी इससें लाभ प्राप्त कर सकें।

(आनन्द स्वरूप)
IRS
निदेशक

क्रमांक:एफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/1068-1118 04.12.19 दिनांक:
प्रतिलिपि:–

1. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय), विभाग जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा)विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड करावायें ।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।
3. निजी सचिव,निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावें ।
5. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों मे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है ।
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय को अपने जिला कार्यालय मे उचित व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।

5/12/19
वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

कमांकःएफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/ 1068-1118 04.12.19 दिनांकः
प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव,विशिष्ट शासन सचिव वित्त(व्यय), विभाग जयपुर ।
2. संयुक्त शासन सचिव वित्त(बीमा)विभाग जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि पत्र को वित्त विभाग की वेबसाइट पर व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु अपलोड करावायें ।
3. निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग राजस्थान सरकार को व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।
3. निजी सचिव,निदेशक महोदय, मुख्यालय जयपुर ।
4. अतिरिक्त निदेशक,सिस्टम अनुभाग मुख्यालय, जयपुर को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय पोर्टल पर अपलोड करावें ।
5. अतिरिक्त निदेशक, समस्त संभागीय कार्यालय को अपने अधीनस्थ जिला कार्यालयों मे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है ।
6. संयुक्त/उप/सहायक निदेशक, समस्त जिला कार्यालय को अपने जिला कार्यालय मे उचित व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु प्रेषित है।

5/12/19

वरिष्ठ अतिरिक्त निदेशक (बीमा),
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग,
राजस्थान जयपुर।

निदेशालय,राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, राजस्थान जयपुर।

क्रमांकःएफ 19/बीमा/व्य0एवंप0/2010–11/ 1068-1118 04.12.19 दिनांकः

समस्त विभागाध्यक्ष राजस्थान सरकार जयपुर
समस्त आहरण एवं वितरण अधिकारी ।

Keshwji
ACP
5/12
5/12/19

विषयः–राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम,1998 के नियम 39(2)(i) की जानकारी के संबंध में।

प्रायः यह देखा गया है कि राज्य कर्मी सेवानिवृत्ति के ठीक पहले आने वाले 1 अप्रेल को अपनी राज्य बीमा पॉलिसी में परिपक्वता दावा राशि का भुगतान प्राप्त कर लेता है और परिपक्वता के बाद लगभग 1 माह से 12 माह तक राज्य बीमा योजना के लाभ से वंचित रहते है। राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम, 1998 के प्रावधानों के अनुसार राज्य कर्मी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बीमेदार अपनी बीमा पॉलिसी को जारी रख सकता है। यह लाभ कार्मिकों द्वारा नियमों की जानकारी के अभाव मे नही लिया जाता है। अगर कार्मिकों द्वारा इस विकल्प को चुना जाता है तो वह सेवानिवृत्ति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक योजना के लाभ को प्राप्त कर सकता है।

राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 1998 के नियम 39(2)(i) के प्रावधान अनुसार–"बीमाकृत व्यक्ति को उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले 31 मार्च तक बीमे को जारी रखने की अपनी इच्छा व्यक्त करने का विकल्प होगा। ऐसी स्थिति में बीमाकृत राशि, विस्तारित अवधि के बोनस सहित, उसकी सेवानिवृति के ठीक पश्चात आने वाले प्रथम अप्रैल को संदेय होगी।" अगर कोई कार्मिक उक्त विकल्प लेता है तो उसे इसकी सूचना अपने आहरण एवं वितरण अधिकारी के माध्यम से इस विभाग के संबंधित जिला कार्यालय को परिपक्वता की मूल तारीख के 15 दिन पूर्व भेजा जाना अनिवार्य है।

बीमेदार द्वारा उक्त विकल्प लेने पर राजस्थान सरकारी कर्मचारी बीमा नियम 51 के अनुसार सेवानिवृति के ठीक पश्चात् आने वाले 31 मार्च तक मृत्यु होने पर बीमाकृत राशि की दुगुनी राशि संदत्त की जायेगी । तथा नियम 18(2) के अनुसार प्रीमियम बीमाकृत व्यक्ति को सेवानिवृत्ति तक वेतन से वसूलीय होगा और संचित असंदत्त प्रीमियम बिना ब्याज के दावे के रकम मे से वसूलीय होगा ।

अतः आपसे अनुरोध है कि आप अपने अधीनस्थ कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को इस बाबत् जानकारी उपलब्ध कराने का श्रम करावें ताकि ज्यादा से ज्यादा राज्य कर्मी इससें लाभ प्राप्त कर सकें।

(आनन्द स्वरूप)
IRS
निदेशक